न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री पंकज **गढवाल** आर0ए0एस0

राजस्व वाद सं0 : 962 सन 2021

अनवान :–

1. बृजलाल पुत्र लिखमाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. देवीलाल पुत्र लिखमाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामप्रताप पुत्र लिखमाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. ताराचन्द्र पुत्र लिखमाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सावत्री पत्नी भागीरथ जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. महेन्द्र पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. बंशीलाल पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. सीमा पुत्री भागीरथ जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. कलावती पुत्री भागीरथ जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत ईष्तकरार हक अन्तर्गत धारा 193,88 आर0टी0एक्ट राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सन 1955

उपस्थित :– श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता, वादी
निर्णय दिनांक :– 14/05/2025

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद धोषणात्मक राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 193,188 इस आश्य का पेश किया की वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के पूर्वजो लिखमाराम को रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 182/176 की कुल .1.2640हैक भूमि गांव की सेवा चाकरी के बदले में जीवन यापन करने के ली दी गई थी।

वादी के पूर्वज लिखमाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण ही है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पूर्वज लिखमाराम को रोही मौजा चक 6 केएनएन के खातासंख्या 182/176 के प0न0 337/384(64) किला न0 18 ,19 व 23 प0न0 337/385(67) किला न0 3/2 व 8 मु0न0 85/12 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता कुल 1.2640हैक भूमि को जो गाव की सेवा चाकरी करता था तथा गरीब व्यक्ति था सरकार ने लिखमाराम व उसके परिवार के भरण पोषण के लिये वाद भूमि दी गई थी।

लिखामाराम का देहानत हो चुका है लिखमाराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 2 त[illegible] भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज हो चुकी है

वाद भूमि वादी के [illegible] थी जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके थे लेकिन राजस्व [illegible] तक गैरखातेदार [illegible]र रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो को हनन हो[illegible]है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.21 10:32:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 तहसीलदार नोहर से निवेदन किया को वाद भूमि जो वादी के पूर्वजों को माफी में दी गई थी को गेरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 182/176 की कुल 1.2640हैक भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 को जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्सा के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का अनुतोष वादी में निहित होने के कारण तलबी की आवश्यकता नही तथा वादी के द्वारा भी प्रतिवादीगण को तर्क किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर साक्ष्य लिये गये साक्ष्य वादी में वादी ने अपना शपथ पत्र एव दस्तावेजात पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में वादी व प्रतिवादीगण स0 2 ता 9 के पूर्वजो लिखमाराम पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी फेफाना जो गरीब व्यक्ति थे तथा गांव में सेवा चाकरी करके अपने परिवार का पालना पोषणा करते थे इनकी सेवा चाकरी के बदले रोही मौजा चक 6 केएनएन के 5.00 बीधा भूमि माफी में सदा के लिये दी गई थी।

उक्त भूमि हाल रोही मौजा चक 6 केएनएन के खातासंख्या 182/176 के प0न0 337/384(64) किला न0 18 ,19 व 23 प0न0 337/385(67) किला न0 3/2 व 8 मु0न0 85/12 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता कुल 1.2640हैक में पैमुद हो चुकी है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम से गैर खातेदार दर्ज है।

लिखमाराम वल्द नन्दराम का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है लिखमाराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के वाद भूमि गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि माफी में दी गई भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज रहने से वादी राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हो रहा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 6 केएनएन के खातासंख्या 182/176 के प0न0 337/384(64) किला न0 18 ,19 व 23 प0न0 337/385(67) किला न0 3/2 व 8 मु0न0 85/12 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता कुल 1.2640हैक भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया हमने उभय पक्ष की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया जमाबन्दी रोही मौजा चक 6 केएनएन के खातासंख्या 182/176 के प0न0 337/384(64) किला न0 18 ,19 व 23 प0न0 337/385(67) किला न0 3/2 व 8 मु0न0 85/12 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता कुल 1.2640हैक वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम बतौर गैरखातेदार काश्तकार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.21 10:32:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

रोही मौजा चक 6 केएनएन के पर्चा लगान एवं पर्चा खतौनी रोही मौजा चक 6 केएनएन में वाद भूमि माफी चाकरान लिखमाराम वल्द नन्दराम के नाम दर्ज है अर्थात वाद भूमि लिखमाराम वल्द नन्दराम को कोटवाली की ऐवज में भरण पोषण हेतु माफी में दी गई थी।

वादी के कथानुसार लिखमाराम पुत्र नन्दराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है लिखामाराम के जायज वारिसान के नाम वाद भूमि बतौर गैरखातेदार दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है वारिसान के सम्बध में पेरोार राज व अन्य का कोई ऐतराज भी पेश नही हुआ है

वाद भूमि रोही मोजा चक 6 केएनएन की कुल 1.2640हैक्ट माफी चाकरान में प्राप्त होने के बाद पहले लिखमाराम के कब्जा काश्त में रही जिसके देहान्त होने के बाद वर्तमान में वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से साबित है

वाद भूमि विलेज सर्वेन्ट /कोटवाली की एवज मे दी गई भूमि होना प्रस्तुत साक्ष्यों से साबित है तथा कोटवाली/विजेज सर्वेन्ट के रूप में दी गई भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 193 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावाधान किया गया है कि माफी में दी गई भूमि के निशुल्क खातेदार अधिकार दिये जा सकते है । साथ ही राजस्थान काष्तकारी अधिनियम की धारा 88 के उपधारा 29 मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है विलेज सर्वेन्ट को माफी मे दी गई भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार दिये जावेगे । वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त के अनुसार इसी न्यायालय के द्वारा माफी की भूमि को किमतन खातेदारी दी गई थी जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने निरस्त की जाकर माफी की भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश दिये गये थे।

माफी कोटवाली की एवज मे दी गई भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिये राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 193 मे/अन्तर्गत स्पष्ट प्रावाधान किया गया है कि माफी में दी गई भूमि के खातेदार अधिकार दिये जा सकते है

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त पूर्णरूप से हस्तगत प्रकरण पर लागु होते है अर्थात वादी अपने पूर्वज लिखमाराम वल्द नन्दराम जाति नाई साकिन फेफाना को माफी कोटवाली/विलेज सर्वेन्ट के रूप में दी गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन के खातासंख्या 182/176 के प0न0 337/384(64) किला न0 18 ,19 व 23 प0न0 337/385(67) किला न0 3/2 व 8 मु0न0 85/12 की 0.038हैक्ट गै0मु0रास्ता कुल 1.2640हैक्ट वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/05/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.21 10:32:15 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा–डिक्री

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : **श्री पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0**

अनवान :–

1. बृजलाल पुत्र लिखमाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. देवीलाल पुत्र लिखमाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. रामप्रताप पुत्र लिखमाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. ताराचन्द्र पुत्र लिखमाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. सावत्री पत्नी भागीरथ जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. महेन्द्र पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. बंशीलाल पुत्र भागीरथ जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. सीमा पुत्री भागीरथ जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. कलावती पुत्री भागीरथ जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 962 सन 2021 निर्णय दिनांक 14/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढवाल आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी श्री मागेराम गोदारा व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन के खातासंख्या 182/176 के प0न0 337/384(64) किला न0 18 ,19 व 23 प0न0 337/385(67) किला न0 3/2 व 8 मु0न0 85/12 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता कुल 1.2640हैक वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ) ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.21 10:32:15 IST
Reason: SelfAttested